ISSN -2319-8303

नवदृष्टि रिसर्च जर्नल

त्रैमासिक

DR. Pushpa Mishra

NAVDRISHTI RESEARCH JOURNAL

डॉ. राममूर्ति मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी

UGC-No
44250

प्रकाशक U.P. Govt. Reg. No. - 1605

डॉ० राममूर्ति मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी

B 22/270 B-1, शंकुलधारा, किरहियाँ मेनरोड, खोजवाँ, वाराणसी, उ०प्र०

ISSN 2319-8303

नवदृष्टि रिसर्च जर्नल

वैश्वीकरण व पर्यावरण 01-02
डा० हरिशंकर यादव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग, डी०एस०एन० कालेज, उन्नाव

सोशल मिडिया और सोसाइटी 03-04
अराधना श्रीवास्तव, संगीत,पोस्ट लेक्चरर
सी.आर.डी. पी.जी. कालेज, गोरखपुर

बालिका भ्रूण हत्या – एक विकृत सोच 05-07
अपराजिता पाण्डेय, शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान,लाडनूं (राजस्थान)

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन : जनपद अलीगढ़ के सन्दर्भ में 8-11
डा० धर्मेन्द्र सिंह, विषय–भूगोल
धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़ (उ०प्र०)

''संयुक्त एवं एकल परिवार के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन 12-16
डॉ. आभा सिंह, सहायक आचार्य
शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग शिक्षा एवं चरित्र निर्माण 17-20
डॉ. अशोक भास्कर, सहायक आचार्य,योग एवं जीवन विज्ञान
विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं (राज.)

ROLE OF LITERATURE IN LANGUAGE LEARNING 21-23
Dr. Ashok Kumar Pandey, TGT (English)
GBSSS – No 2, C Block, Janakpuri,New Delhi

"Virtual Learning and Smart Classes in ICT Pedagogy in Digital Indian Platform" 24-29
Dr. Bhabagrahi Pradhan, Asstt. Prof. of Education, Dept. of Education,Jain VishvaBharati Institute,(Deemed University),Ladnun, Rajasthan

भारत में दल–बदल विरोधी कानून एवं भारतीय संविधान की दसवी अनुसूची 30-33
डॉ० अंजलि पाण्डेय, राजनीति विज्ञान विभाग
किशनी महाविद्यालय किशनी, मैनपुरी

दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति : सहयोग एवं सम्भावनाएँ 34-36
अशोक कुमार वर्मा, शोध छात्र, रक्षा एवं स्त्रातेजित अध्ययन
विभाग,इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दलित आन्दोलन : नेतृत्वहीनता का संकट 37-38
डॉ० रूपम मिश्रा

वैश्वीकरण और शिक्षा की चुनौतियाँ 39-42
डॉ. सरोज राय, सहायक आचार्या, शिक्षा विभाग
जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय, लाडनूँ (राज.)

आधुनिक भारत के निर्माण में दलित महिलाओं का अवदान 43-46
डॉ० विवेक कुमार, पूर्व अतिथि प्रवक्ता, ईश्वर शरण डिग्री कालेज इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद।

मुकुलम् में मानवाधिकारों की सुरक्षा के उपाय 47-50
डा. हेमलता जोशी, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं, (राज.)

भारत में जल प्रबन्धन मुद्दे चुनौतियां और उपाय 51-57
जितेन्द्र प्रसाद, जे०आर०एफ० भूगोल विभाग,
दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

Role of Skill Development in Today's Education Ecosystem: Trends and Issue 58-66
Ms Manisha Singh, Assist. Prof. Modern College of Professional Studies, Mohan Nagar GZB

प्राचीन भारत में देवदासी प्रथा 67-69
मनोज सिंह यादव,कनिष्ठ शोध अध्येता, प्राचीन इतिहास,
संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय,इलाहाबाद

वेदों में ऋग्वेद का महात्म्य 70-73
बीना यादव, शोधच्छात्रा, संस्कृत–विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

योग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास 74-78
डॉ. निर्मला भास्कर, सहायक आचार्य, योग विभाग
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (रोहतक)

मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार 79-81
डॉ० प्रदीप कुमार जायसवाल

भारतीय समाज में असंगठित अर्थव्यवस्था, समस्याएं एवं कानूनी उपचार 82-83
पुष्पा मिश्रा, सहायक आचार्य, समाजकार्य विभाग,
जैन विश्वभारती, संस्थान लाडनूँ (राज.)

भास के प्रमुख रूपकों में बिम्ब–योजना 84-86
शिखा यादव, शोधच्छात्रा डॉ० राम मनोहर लोहिया
अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

THE COGNITION OF HUNGER AND PSYCHOLOGY OF UNUSUAL EATING BEHAVIOUR AMONG URBAN GIRLS 87-90
Shruti kumari, Research scholar, UGC-NET-JRF,
P.G. Dept. of H.Sc- F&N T.M.B.U., Bhagalpur

ISSN 2319-8303

भारतीय समाज में असंगठित अर्थव्यवस्था, समस्याएं एवं कानूनी उपचार

पुष्पा मिश्रा
सहायक आचार्य,
समाजकार्य विभाग,जैन विश्वभारती
संस्थान लाडनूँ (राज.)

असंगठित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य अपंजीकृत गतिविधियों से है जो राज्य एवं उसके विधियों के नियतंत्र से बाहर होती है। भारतीय असंगठित अर्थव्यवस्था क्षणभंगुर नहीं है। इस अवधारणा का विकास 1970 के दशक में प्रारम्भ हो चुका था। यह व्यवस्था वास्तव में एक ऐसा ताना–बाना है जो कई अर्थ व्यवस्थाओं को अपने में समेटा हुआ है जिसमें औपचारिक संगठित गतिविधियों ने सबकांन्ट्रेक्टिंग के जरिए न केवल ऑपचारिक अर्थव्यवस्था का दोहन किया है बल्कि उसमें उत्पादित सस्ते उत्पादों और सेवाओं से लाभ–कमाया है। भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था कुल अर्थव्यवस्था का छोटा हिस्सा नहीं है बल्कि यह दूसरे यूरोपीय देशों में भी देखा गया है। वैसे तो असंगठित क्षेत्र संवृद्धि का वाहक भी है और रोजगार उपलब्ध करवाता है। असंगठित अर्थव्यवस्था में संपति सृजित भी की जाती है। (रॉय 1996) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ का मानना है कि जिस काम के दौरान संगठन या सामाजिक सूरक्षा प्राप्त करने के प्रभावी अधिकार शामिल न हो वह असंगठित श्रम है। कामगारों थी विपन्नता दूर करने के लिए उन्हें या उनके परिवार को ही नहीं बल्कि नागरिक के तौर पर कल्याण योजनाओं के रूप में उनको सूरक्षा मिलनी चाहिए। असंगठित अर्थव्यवस्था ही वह क्षेत्र है जहां पर गरीबी का संपदा से सम्बन्ध गरीबी के कारक आदि स्पष्ट होते है। (हैरिस व्हाइट (2006) असंगठित क्षेत्र आंकड़ों और आधिकारिक दस्तावेजों में भी असंगठित है। राष्ट्रीय आयोग (असंगठित उद्यम) (2005–06) वास्तव में यह जिस रूप में संगठित है, उसमें किसी भावी उत्पादन सुधार दशा के लिए एक संभावना का निर्माण होता हैं असंगठित बाजार का नियमन सरकार द्वारा नहीं बल्कि बल्कि समाज द्वारा होता है। प्रश्न यह है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र ले लिए कोई आर्थिक परियोजना है। यह व्यवस्था गैर पूंजीवादी और निर्धनीकरण के लिए जिम्मेवार है। विकास की राह पर दिन प्रतिदिन विकसित होने वाला राष्ट्र भारत इस क्षेत्र के लिए उदासीन नजर आता है। यह उदासनीता एवं अनियमितता अवैध रास्तों को मिलता है। यह एक सर्वव्यापी तथ्य है कि भारत के शीर्ष पूंजीपति वर्ग ने हमेशा ही इस दिशा में उठाएं गये सकारात्मक कदमों का विरोध किया है, और दूसरी और खुद राज्य पोषित प्रोतसाहन पाते रहे है। (छिब्बर 2003) यह व्यवस्था संस्थानिक संकटों या राज्य की क्षमता में कमी के कारण नहीं है बल्कि महत्वाकांक्षी, नियामक, एवं विकासात्मक कामों के लक्ष्यों में संलग्न होने के कारण है। नीति प्रक्रियाओं का अनौपचारिक होना लक्ष्यों से भटकने में सहायक बन रहा है।

समस्याएं :

असंगठित अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर सकल घरेलु उत्पाद, निर्यात और रोजगार के मामले में योगदान देता है फिर भी यह वित्तीय समावेश के मामले में भारी उपेक्षा का शिकार हुआ है। इन विषय पर जाने माने अर्थशास्त्री और वित्तिय सलाहकार एव गुरूमूर्ति का अनुमान है कि नॉन कॉरपोरेट सेक्टर हर वर्ष 6.28 लाख करोड़ रूपये की राशी अर्थ व्यवस्था से जोड़ता है। उनके मुताबिक, असंगठित और कृषि क्षेत्र में 5.77 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे है। ऐसी उपलब्धियों के बावजूद गुरूमूर्ति का कहना है कि इस क्षेत्र के महज 4 प्रतिशत हिस्से को ही बैंक से मदद मिल पाती है। यह क्षेत्र बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिये सहयोगी का काम करता है किन्तु ये इकाइयां समय पर भुगतान नही करती है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर कौशल होने के बावजूद बेहरत स्तर प्राप्त नहीं कर पाते है। ऐसे मजदूर की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य और आवास होती है, जिस स्तर पर ये संगठित कामगारों से बहुत अधिक पिछड़े जाते है और निरन्तर पिछड़ते रहते है।

स्वास्थ्य समस्या : पुरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 16.5 प्रतिशत है। इसमें भारत के श्रम बल का 93 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र से आता है। इसमें 20 प्रतिशत हिस्सा भारत में बिमार रहता हैं अमित त्यागी (योजना अक्टूबर 2014) असंगठित क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याएं व्यापक हैं दस्त, टी.बी., सांस के रोग, कुपोषण, मधुमेय, हृदय रोग एवं संक्रमण आदि जैसी बिमारियों से ये जुझते है। अधिकतर बिमारियां आस–पास के माहौल, दूषित जल एवं बचाव की अज्ञानता के कारण है।

ISSN 2319-8303

आवास समस्या : असंगठित क्षेत्र के लोग औद्योगिक इकाइयों से दूर तथा शहरी क्षेत्रों से दूर निवास करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में 1.88 करोड़ और ग्रामीण इलाकों में 4.37 करोड़ आवास इकाइयों का अभाव हैं इन आंकड़ों के अनुसार भी असंगठित क्षेत्र के कामगर आवास व्यवस्था की परेशानी से जूझ रहे है। इसके अतिरिकत अन्य समस्याएं शिक्षा, राजगार, पेंशन और खाद्य–सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रमुख है।

कानूनी उपचार : असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के भविष्य को सुरिक्षत करने की दिशा में सरकारी स्तर पर कुछ प्रयास हो रहे हैं। इन्हें सामाजिक सूरक्षा देने के लिये नेशनल सोशल असिस्टेन्ट प्रोग्राम, पेंशन कोष नियामक पेंशन फंड की योजनाएं एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कई योजनाएं शामील है। संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 भारतीय नागरिकों को शोषण के विरूद्ध अधिकार देता है। श्रम का मुद्दा केन्द्र और राज्य दोनों से सम्बन्धित है। इसके लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लागों से सम्बन्धित कुल अधिनियमों की संख्या 44 है। जिनमें अधिकतर दोनों ही क्षेत्र के लोगों पर समान रूप से लागु है किन्तु ज्यादातर कानूनों का फायदा असंगठित क्षेत्र से ज्यादा संगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलता है। जैसे–न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, कामगार प्रतिकार अधिनियम 1923 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1947 बालश्रम निषेध अधिनियम 1986 ए कारखाना अधिनियम 1948 आदि।इस सबके अतिरिक्त असंगठित श्रमिक सामाजिक सूरक्षा अधिनियम 2008 विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र के लिये है। राज्य स्तर पर मथारी वर्कर्स अधिनियम (महाराष्ट्र) रोजगार गारंटी अधिनियम आदि है। कल्याणकारी कानूनों में बीड़ी कामगार वेलफेयर बार्ड 1966, चाय वेलफेयर बोर्ड, मजदूरी भुगतान अधिनियम, कांट्रेक्ट लेवर एक्ट आदि सम्मिलित है।

भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत निम्न अनुच्छेदों का प्रावधान है।

1. **अनुच्छेद 23** : शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान करता है एवं बंधुआ मजदूरी, बालश्रम और अवैध मानव व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
2. **अनुच्छेद 24** : 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी फैक्ट्र या खदान में काम करने के लिये नियुक्त नहीं किया जाएगा।
3. **अनुच्छेद 39 इ** : राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे की श्रमिकों पुरूषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और कम उम्र के बच्चों का शोषण न हो।
4. **अनुच्छेद 39 एफ** : बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएगी।

संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, अनुच्छेद 21 (क) में 6–14 वर्ष के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। यह असंगठित कामगारों के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1984 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि किसी जनहित याचिका के द्वारा यह ज्ञात होता है कि बंधुआ मजदूरी अभी भी बरकरार है तो सरकार को ऐसी याचिका का स्वागत करना चाहिए और इसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार यदि देखा जाए तो असंगठित क्षेत्र में कामगारों की हालत चिन्ताजनक है। वे अनेक समस्याओं का सामना कर रहे है। कानून और संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा इनके निवारण की दिशा में कार्य होते रहे हैं फिर भी असंगठित क्षेत्र के लोगों को पूर्णत लाभान्वित करने के लिए हमेंहर तरह के प्रयास करने चाहिए।

सदर्भ –

1. भारत का संविधान
2. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम
3. 12वीं पंचवर्षीय योजना
4. योजना, अक्टूबर (2014)